

राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर

(प्लॉट नं. - 6, ऐवरेस्ट कॉलोनी, नियर अपेक्स मॉल, लाल कोठी, जयपुर)

क्रमांक: पैरामेडि.कौ / मान्यता / 2019 / 1016

दिनांक 03-06-19

—:आदेश:—

राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर की असाधारण बैठक दिनांक 12.04.2019 में लिये गये निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 821 दिनांक 26.04.2019 एवं 822 दिनांक 26.04.2019 की पालना में राजकीय एवं वर्तमान में राज्य सरकार से मान्यता कॉलेजों द्वारा दिनांक 13.05.2019 तक नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत करने पर राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल द्वारा निम्न पैरामेडिकल कॉलेजों/संस्थानों को निम्न डिप्लोमा पैरामेडिकल पाठ्यक्रम संचालित करने की अस्थाई मान्यता प्रदान की जाती है :-

Sr. No.	University /College Name	Address	Government /Private	Course Name	Seats Alloted	Session
1	Sardar Patel Medical College	Nagnechi Road, Bikaner	Government	Diploma in Radiation Technology	25	2019-20
				Diploma in Operation Theatre Technology	25	
				Diploma in Medical Lab. Technology	25	
2	RUHS College of Medical Sciences	Sector-11, Pratap Nagar, Jaipur	Government /University	Diploma in ECG Technology	25	2019-20
				Diploma in Operation Theatre Technology	25	
3	Jawahar Lal Nehru Medical College	J.L.N. Medical College, Near Patel Stadium, Ajmer	Government	Diploma in Medical Lab. Technology	25	2019-20
				Diploma in Radiation Technology	25	
				Diploma in Ophthalmic Technology	25	
				Diploma in ECG Technology	25	
4	SMS Medical College	J.L.N. Marg, Jaipur	Government	Diploma in Ophthalmic Technology	25	2019-20
				Diploma in Dialysis Technology	25	
				Diploma in Medical Lab. Technology	25	
				Diploma in Radiation Technology	25	
				Diploma in ECG Technology	25	
5	Institute of Medical Technology & Nursing Education	10A, Swasthya Kalyan Bhawan, Sitapura Industrial Area, Near Mahatama Gandhi Hospital, Sitapura, Jaipur	Private	Diploma in Medical Lab. Technology	25	2019-20
				Diploma in Radiation Technology	25	
				Diploma in Ophthalmic Technology	25	

6	Ravindranath Tagore Medical College	Opp. Court Circle, Udaipur	Government	Diploma in Medical Lab. Technology	25	2019-20
				Diploma in Radiation Technology	25	
				Diploma in Ophthalmic Technology	25	
				Diploma in Dialysis Technology	25	

यह पूर्णतः अस्थाई मान्यता राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल एक्ट 2008 की धारा 13 एवं 28 के तहत निम्न शर्तों के अधीन दी गई है -

1. पाठ्यक्रमों एवं अन्य क्रियाकलापों का संचालन राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।
2. राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल द्वारा संस्था का निरीक्षण किसी भी समय पर करवाया जा सकता है और संस्था द्वारा नियमों/विनियमों/निर्देशों का उल्लंघन पाया गया तो संस्था की मान्यता तुरन्त प्रभाव से समाप्त की जा सकती है।
3. मान्यता प्राप्त संस्था को प्रति डिप्लोमा कोर्स के लिए राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल और संस्था के संयुक्त नाम की 75,000/- रूपयें प्रति कोर्स की स्थाई बैंक जमा रसीद (FD) राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल में दिनांक 17-06-2019 तक जमा करानी होगी।
4. राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल द्वारा मांगी गई सूचनाएं संस्था द्वारा समय पर उपलब्ध कराई जाएगी।
5. राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल द्वारा जारी निर्देशों की पालना सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।
6. आगामी छः माह में निरीक्षण कराया जायेगा। निरीक्षण में किसी प्रकार की कमी पाई जाने पर मान्यता समाप्त कर दी जायेगी।
7. प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए 25 सीटें आवंटित की गई हैं।

नोट:-उपरोक्त पैरामेडिकल पाठ्यक्रम संचालन की अनुमति बिना निरीक्षण कराये राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर के आदेश संख्या 13072 दिनांक 27.09.2018 एवं 23913 दिनांक 25.02.2019 के द्वारा पूर्व में उनके द्वारा अनुमोदित होने के कारण राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल एक्ट, 2008 की धारा 28(5) के अन्तर्गत निरीक्षण में शिथिलता प्रदान की जाकर अनुमति प्रदान की जा रही है।

3/6/19
रजिस्ट्रार
दिनांक 03-06-19

क्रमांक:पैरामेडि.कौ/मान्यता/2019/10/6

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री महोदय, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर।
5. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर।
6. कुलपति, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।
7. अध्यक्ष, राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर।
8. उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, जयपुर।
9. रजिस्ट्रार, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।
10. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज/सम्बन्धित मेडिकल कॉलेज को पालनार्थ।
11. परीक्षा नियंत्रक, राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर।
12. पंजीयन शाखा, लेखा शाखा, संस्थापन शाखा एवं काउन्सिलिंग शाखा, मुख्यालय।
13. प्रभारी, सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि आज ही कार्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करें।
14. रक्षित पत्रावली।

3/6/19
रजिस्ट्रार